न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:– श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 84 / 2023

प्रार्थीगण

01. दिनेश पुत्र घेवरराम
02. भंवरा पुत्र भोला
03. मदनलाल पुत्र सुगाल जातिगण घांची निवासीगण सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0

बनाम

अप्रार्थीगण

01. स्व0 बाबूलाल पुत्र मांगीलाल के का0मु0
    1/1 दुर्गा पुत्र बाबूलाल
    1/2 अशोक पुत्र बाबूलाल
    1/3 संजू पुत्र बाबूलाल
    1/4 पिंकी पुत्री बाबूलाल पत्नी पारस राठौड़ जातिगण घांची निवासीगण जोधपुरिया गेट के बाहर, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।
02. सुजाराम
03. प्रकाश
04. कानाराम पिसरान मांगीलाल जातिगण घांची निवासीगण जोधपुरिया गेट के बाहर, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।
05. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

01. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
02. श्री मोतीसिंह पुरोहित अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :– **दिनांक :** 08/10/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम, पटवार हल्का सोजत चक प्रथम, भू.अ.नि.क्षेत्र सोजत, तहसील सोजत के वर्तमान नया खाता संख्या 1397 के खसरा नम्बर 2313 रकबा 0.6500 हैक्टर की कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त, कब्जाकाश्त की आयी हुई स्थित है, उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा आता है जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 1 के पिता घेवरराम के नाम दर्ज है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, जिनके अन्य वारिसानो ने प्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हकतर्क कर दिया, जिससे प्रार्थी संख्या 1 के पिता घेवरराम के हिस्से का प्रार्थी संख्या 1 ही एकमात्र खातेदार है तथा प्रार्थी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा आया हुआ स्थित है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 2313 के आगे की तरफ चिपते ही अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 2337 रकबा 0.2100 हैक्टर की आई हुई स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता के नाम दर्जसुदा है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, जिनके उतराधिकारी वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 से 4 है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के खसरा संख्या 2313 के पड़ौस में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की भूमि आई हुई स्थित है तथा उक्त अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा हर समय प्रार्थीगण की भूमि के कब्जे काश्त में माठो, सीमाओं व धोरा पाली व कब्जे काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

किया जा रहा है तथा उक्त अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में अनावश्यक हस्तक्षेप करने को उतारू रहते है तथा मौके पर सीमाज्ञान/पत्थरगढी नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 प्रार्थीगण की भूमि पर सीमा चिन्ह अंकित नही होने से व्यवधान उत्पन्न करते रहते है तथा माह अप्रैल में भी उक्त अप्रार्थीगण द्वारा बिना वैध अधिकार के प्रार्थीगण की भूमि पर अनावश्यक दखल अन्दाजी को उतारू हुये, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नम्बर 2313 के सीमांकन बाबत् तहसीलदार सोजत को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार, सोजत द्वारा सम्बंधित पटवारी हल्का को जॉच रिपोर्ट हेतु आदेशित किया, जिस पर सम्बंधित पटवारी हल्का द्वारा मौके पर विवाद होने से सीमांकन नही किया गया, जिसकी फर्द रिपोर्ट भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत है तथा मौके पर भी अप्रार्थीगण द्वारा विवाद करने की स्थिति में सीमाज्ञान नहीं किया जा सका तथा दिनांक 13/06/2023 को भी उक्त अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर प्रार्थीगण के हक हिस्से में सीमाज्ञान नही होने से दखल अन्दाजी कर विवाद उत्पन्न किया गया, इसलिये प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2313 का मौके पर सीमांकन/पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है, जिस हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के वर्तमान खसरा संख्या 2313 रकबा 0.6500 हैक्टर व सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 2337 रकबा 0.2100 हैक्टर की कृषि भूमि का सीमांकन / पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश पारित फरमावे।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अधिवक्ता श्री मोतीसिंह पुरोहित ने अप्रार्थी सं0 01 से 04 की ओर से वकालतनाम पेश किया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रार्थना पत्र सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत के खसंरा नम्बर 2313 रकबा 0.6500 हैक्टर की कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त, कब्जाकाश्त की आयी हुई स्थित है, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा आता है जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 1 के पिता घेवरराम के नाम दर्ज है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, जिनके अन्य वारिसानो ने प्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हकतर्क कर दिया, जिससे प्रार्थी संख्या 1 के पिता घेवरराम के हिस्से का प्रार्थी संख्या 1 ही एकमात्र खातेदार है तथा प्रार्थी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा आया हुआ स्थित है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 2313 के आगे की तरफ चिपते ही अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 2337 रकबा 0.2100 हैक्टर की आई हुई स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता के नाम दर्जसुदा है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, जिनके उतराधिकारी वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 से 4 है। उक्त अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा हर समय प्रार्थीगण की भूमि के कब्जे काश्त में माठो, सीमाओं व धोरा पाली व कब्जे काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न किया जा रहा है, जिससे

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (पाली)

प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र सीमांकन कर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिये मुटाम लगाये जाने हेतु आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया हैं। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में दो से अधिक सीमाएं नहीं हैं। खसरा नं0 2313 एक ही खसरा है। उसके चिपते हुए कोई अन्य खसरा की सीमा नहीं बताई गई हैं। अप्रार्थीगण का पुराना कब्जा काश्त हैं। रहवासी मकानात बने हुए हैं। वहां कोई सीमाओं को लेकर विवाद नहीं है। कब्जे काश्त का विवाद हैं। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 29.06.2018 को पहले ही धारा 188 आर0टी0 एक्ट तहत वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें अप्रार्थीगण ने काउण्टर दावा भी प्रस्तुत किया हुआ हैं। यह तथ्य प्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर छिपाया गया हैं। प्रार्थीगण न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं तथा विद्यादेवी बनाम मदनलाल व अन्य प्रकरण सं0 134/2023 में धारा 212 आर0टी0 एक्ट में खसरा नंबर 2313 पर स्थगन चल रहा हैं। इसमें प्रार्थीगण का टाईटल ही डिसप्यूंटेड हैं। तहसीलदार के सामने कोई प्रा0पत्र प्रस्तुत किया, उसमें कब्जे के संबधं में कोई विशिष्ट फाईडिंग जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। एक ही खसरे के संबंध में पत्थरगढ़ी सीमांकन नहीं होता है। एक से अधिक खसरों की आवश्यकता होती हैं तथा यदि कब्जा सैटल्ड है तो पत्थरगढ़ी के नाम पर बदला नहीं जा सकता हैं। पत्थरगढ़ी मात्र सीमाओं के मार्क के रूप में उपयोग हो सकती हैं। वास्तविक कब्जे के अधिकार का निर्धारण नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रा0पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया हैं। अपने कथनों के समर्थन में 2021(1)आरआरटी पेज सं0 638 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेजात तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। फहरिस्त के साथ प्रस्तुत मौका फर्द की छाया प्रति अनुसार मौके पर वादग्रस्त भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद होना स्पष्ट होता है। खातेदार को अपनी भूमि की सही सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। लिहाजा सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 2313 रकबा 0.6500 हैक्टर का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाना उचित समझते है।

–: आदेश:–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में प्रार्थी की मालिकाना, हक, हकूक, खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 2313 रकबा 0.6500 हैक्टर का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में संबंधित भू0अ0 निरीक्षक,

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

संबंधित पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हों।

(मार्सिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 08/10/2025 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मार्सिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत